

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी - मार्च, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 1992 (फाल्गुन 2, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर नगर की अनेक स्कूली छात्राओं का असामाजिक तत्वों द्वारा शोषण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, आरिफ अकील, सदस्य रायपुर नगर के गोल बाजार में अग्निकाण्ड से हुई क्षति की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के गांधी नगर पुलिस चौकी के पास दुर्घटना से हुई चार व्यक्तियों की मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम बुदा में महिलाओं के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री मदनलाल त्यागी, सदस्य, सीहोर नगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री मदनलाल त्यागी, सदस्य सीहोर जिले के अनेक क्षेत्रों में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम घुटवानी में हुई डकैती की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री राम बहादुर सिंह, सदस्य -

(क) जिला गुना विधान सभा क्षेत्र चाँचौड़ा के ग्राम विजयपुर में कन्या प्राथमिक शाला खोले जाने, तथा

(ख) जिला गुना तहसील राघवगढ़ के ग्राम विजयपुर में पशु चिकित्सालय खोले जाने,

(2) श्री केशराज सिंह, सदस्य -

(क) जिला गुना, विकास खण्ड चन्देरी के ग्राम अमरौद में नलजल योजना प्रारंभ किए जाने,

(ख) जिला गुना, विकासखण्ड मुगावली के बेतवा नदी पर उद्धवहन पिपरिया मध्यम योजना को बजट में शामिल किये जाने, तथा

(ग) जिला गुना, विकासखण्ड मुगावली के ग्राम पिपरई में हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,

(3) श्री नाना लाल पाटीदार, सदस्य -

(क) जिला मंदसौर के ग्राम दलीवा चौपाटी में स्कूल, अस्पताल आदि की सुविधा उपलब्ध कराने, तथा

(ख) जिला मंदसौर के तहसील सीतामऊ में पेयजल की योजना स्वीकृत करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

4. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य द्वारा
दिनांक 10 फरवरी 1992 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा - (क्रमशः)

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं".

निर्धारित समय

5. अशासक्रीय संकल्प

- निर्धारित समय (1) श्री मदनलाल त्यागी/श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
- 45 मिनट "सदन का यह मत है कि देश में एक समान स्वीय संहिता (पर्सनल ला) अधिनियमित करने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध किया जाय".
- (2) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
- 10 मिनट "यह सदन केन्द्र शासन से अनुशांसा करता है कि विश्व विख्यात पर्यटन केन्द्र खजुराहो को रेल मार्ग से जोड़ा जाय".
- (3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
- 30 मिनट "सदन का यह मत है कि गन्ने के समर्थन मूल्य में रुपये चार प्रति कि्वटल की वृद्धि की जाय".
- (4) श्रीमती नेहा सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -
- 20 मिनट "सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला एवं प्रमुख तहसील मुख्यालय पर महिला उद्यमियों हेतु आरक्षित बाजारों का निर्माण किया जाय".
- (5) श्री ललित जैन, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
- 15 मिनट "सदन का यह मत है कि इन्दौर-उज्जैन-भोपाल के मध्य तीव्र गति की चक्रामित इंटरसिटी रेल सेवा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध किया जाय".

6. नियम 52 के अधीन आगे दण्डे की चर्चा

दिनांक 9 दिसम्बर 1991 को राजस्व मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारक्षित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 48) के उत्तर से अद्भूत विषय पर श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेगे.

भोपाल:
दिनांक: 20 फरवरी, 1992

विजेन्द्र मेहता
सद्विव,
मध्यप्रदेश विधान सभा